**कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

**पत्रांक— 1090 /11—सी—FP/UP/Road/41235/2019, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 02 ,2019**

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।

विषयः— जनपद—हमीरपुर में बिलरायाँ—पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग—21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4—लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 49.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2576 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0— FP/UP/Road/41235/2019

सन्दर्भः— आपका पत्रांक—1623/33—1, दिनांक 21.11.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः—

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
2. प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग—2 के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—13(ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्र्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो संलग्न नहीं है।
5. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित नहीं है।
6. प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में 10 किमी0 की परिधि में महावीर स्वामी वन्यजीव सेन्चुरी का उल्लेख है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित स्थल से सेन्चुरी कितनी दूरी पर है तथा Eco Senctive Zone की परिधि के बाहर है अथवा नहीं? इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
7. हार्डकापी भाग—2 में हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग—2 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित हार्डकापी भाग—2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 अपलोड करे।
8. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0—130 पर संलग्न प्रमाण पत्र पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करे।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, <u>प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आप, प्रभागीय वनाधिकारी तथा प्रयोक्ता एजेंसी के साथ बैठक कर</u> इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

2/12

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

**<u>संख्या— 1090 /11—सी— FP/UP/Road/41235/2019, दिनांकित।</u>**

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
2. अवर अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड—2, लो0नि0वि0, हमीरपुर।

2/12

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1990